नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

पत्रांक –582 / सा0   दिनांक– 17.09.11

प्रेषित – नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, मुंगेर।

सेवा में,
निदेशक सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार–पटना।
सूचना भवन बेली रोड, पटना।

विषय "आम सुचना बिहार विज्ञापन नीति 2008 के आलोक में निविदा प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुर्क्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मुंगेर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 2011–2012 का 1 से 45 वार्डो में कुड़ा उठाव कार्य के लिए निविदा प्रकाशन हेतु निविदा की पाँच हार्ड कॉपी एवं 1 सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि बिहार विज्ञापन निति 2008 के आलोक में संलग्न निविदा आम सुचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्यवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापांक–582 / सा0 / दिनांक 17.09.11

प्रतिलिपि– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर / जिला सुचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 मुंगेर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, मुंगेर।

पत्रांक –582/सा0 दिनांक–17.09.11

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
(सूचना संख्या–01/2011–2012)

1.	विज्ञापनदाता का नाम	–	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, मुंगेर।
2.	निविदा जमा करने की तिथि/ समय एवं स्थान	–	दिनांक–28.09.11 जनकार्य विभाग 11 बजे दिन से 2 बजे अपराह्न तक
3.	निविदा खोलने की तिथि/ समय एवं स्थान	–	दिनाक–28.09.11 नगरनिगम मुंगेर सभा भवन में 3 बजे अपराह्न।
4.	कार्य विवरणी –	–	13वीं वित्त आयोग योजना मद के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राशि से

क्रमांक	कार्य का विवरण	निर्धारित राशि	कार्य अवधि
1	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 01 से 45 वार्डो का कूड़ा उठाव कार्य	313/– (तीन सौ तेरह रूपये) प्रति ट्रेलर	01 सितम्बर 2011 से 31 अगस्त 2012 तक।

आवश्यक शर्ते :–

5. अनिवार्य रूप से यह कार्य स्वयं सेवी संस्था द्वारा ही कराया जाएगा।
6. संस्था का निबंधन अवधि कम से कम तीन वर्षो का तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ एवं आयकर प्रमाण–पत्र रिर्टन, पैन कार्ड एवं अनुभव प्रमाण–पत्र, वॉयलोज प्रमाण–पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
7. निर्धारित राशि से अधिक की राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
8. वार्ड से उठाए गए कूड़े का निष्पादन अवशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निगम के नियत स्थल पर संग्रहित की जाएगी।
9. कुड़ा का उठाव कार्य प्रतिदिन उत्पादन के आधार पर किया जाएगा।
10. कार्य से संबंधित भुगतान विधिवत विपत्र के विरूद्ध सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा तथा किसी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं की जाएगी।
11. निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने या कार्य का बंटवारा करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. कार्य संतोषजनक रहने पर कार्यअवधि बढ़ाया जा सकता है तथा असंतोषजनक रहने पर घटाया या हटाया जा सकता है।
13. विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निगम, मुंगेर।